

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम विद्यो क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।
- (v) उपर्युक्त जमा करवाने की सज्जत जिम्मेवारी आवेदक की रहेगी

एकल खिडकी केवल आवासीय धर्मोपनिधि

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 921 दिनांक 16/08/2021

प्रार्थी भगनराज पुरीहत पत्नी श्री जोगीलाल पुरीहत

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 9190/- जमा

जसिये रसीद संख्या 9069/6465, 6466


दिनांक 16/08/2021 को जमा करा दी है ।

17/3/2024

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

**दक्षिण**

जी।  
आवासीय

  
9351388856